(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में इस विषय में नई नीति अपनाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) उच्चतर तकनीकी और शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा शुल्कों को और अधिक स्तर पर लाने का प्रस्ताव है ताकि वसूल किए गये शुल्कों और प्रशिक्षण की वास्तविक लागत के बीच कुछ उचित संबंध हो तथापि कठिनाई यह है कि एक औसत भारतीय की अदायगी क्षमता सीमित है और यदि शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जाती है तो तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश पाने वालों छात्रों के लिए कुछ ऋण संबंधी प्रबंध करने होंगे जिन्हें वे रोजगार में लग जाने के बाद कुछ समयावधि में वापस लौटा सकते हैं । यह सभी मेधावी छात्रों को अवसर प्रदान करेगा और न कि मात्र उनको जो अधिक शिक्षा शुल्क प्रदान कर सकते हैं ।

मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि एक आई० आई० टी० स्नातक के प्रशिक्षण की लागत 1 लाख रुपये है जबकि वसूल किया जाने वाला शिक्षा शुल्क नाम मात्र है भारती प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों से वास्तविक लागत निकालने के लिए अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में नये महाविद्यालयों की स्थापना

74. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष स्नातक कक्षाओं में केवल 28076 सीटें उपलब्ध हैं जबकि पात्र विद्यार्थियों की संख्या 57613 है ;

(ख) यदि हां, तो नये महाविद्यालय न खोलने के क्या कारण हैं तथा दिल्ली में कब से कोई नया महाविद्यालय नहीं खोला गया है ;

(ग) क्या छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार इस वर्ष नये महाविद्यालय खोलेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्य कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार, जिन छात्रों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा-XII) या इसके समकक्ष परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, वे छात्र 17 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा पूरी करने पर कालेज में अवरस्नातक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश पाने के पात्र हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि 57613 छात्र, जिन्होंने दिल्ली से सीनियर माध्यमिक तथा समकक्ष परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, वे विभिन्न अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के पात्र हैं । इसके मुकाबले विश्वविद्यालयों अवरस्नातक पाठ्यक्रम में 55,386 छात्रों को प्रवेश दे सकता है। इसमें से 29,076 स्थान कालेजों में उपलब्ध हैं, 3510 स्थान नानकालेजियेट हिला शिक्षा बोर्ड में तथा 22,800 स्थान पत्राचार तथा सतत शिक्षा पाठ्यक्रम में हैं । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 1990-91 से दिल्ली के कई कालेजों में करीब 875 छात्रों की क्षमता वाले विभिन्न नए पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रवश की बढ़ती मांग को देखते हुए दो नए कालेज, एक 300 स्थान वाला पश्चिम दिल्ली कमंपुरा में तथा